

प्रारूप 'क'

(नियम 3 देखें)

घोषणा पत्र का प्रारूप

-28-
हिन्दन हार्डवैर

दिनांक 10/08/2014

स्थान गाजियाबाद

प्रमोटर का विवरण :

1. नाम : कुरसेला एसोसियेटेड्स एण्ड इंजीनियर्स प्रा० लि०
 2. पंजीकरण पता : II Floor 4/2, Gopala Block, SK Builder, Road No.-15, Jawahar Ngr. Post- Mango, JSR
 3. स्थानीय / डाक का पता -12, ARD Complex, FF, R.K. Puram, Sector-13 New Delhi - 110066
 4. निगमन का दिनांक (यदि लागू हो) : -11-10-2-1984
 5. प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता का नाम/पदनाम : गौरव सिंह, निदेशक, 12, ARD, Complex, FF, R.K. Puram, Sector-13, New Delhi - 110066
- प्रथम प्रमोटर भूमि का पट्टे के रूप में स्वामी है/धारिता करता है जो इस घोषणा के साथ संलग्नक 'क' में पूर्ण रूपेण वर्णित और विवरणित है। - गा० वि० प्रा० से क्रय की गयी है तथा फ्री-होल्ड है।

द्वितीय प्रमोटर द्वारा भूमि के टुकड़े जो इस घोषणा पत्र के अनुलग्नक 'क' में वर्णित है, पर एक अपार्टमेंट भवन/भवन समूह योजना का निर्माण किया गया है जिसका ब्यौरा निम्नवत् है :-

क्र०सं०	वर्णन	विशिष्टताएं
(1)	(2)	(3)
1.	भवन/ग्रुप हाउसिंग स्कीम का नाम	हिन्दन हार्डवैर अपार्टमेंट्स
2.	प्लान स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी	गा० वि० प्रा०
3.	स्वीकृति का दिनांक :- मान० सं० 37/THA/GH/90/द०. 14.3.91	
4.	संपत्ति की नगर पालिका संख्या	- भूखण्ड सं० - 21
5.	संपत्ति की नगर पालिका वार्ड	बेशाली - सेक्टर - 4
6.	संपत्ति का डाक का पता :- हिन्दन हार्डवैर अपार्टमेंट, सेक्टर - 4, बेशाली।	
7.	वास्तुविद/संरचनात्मक अभियन्ता का नाम	Jaiswal & Associates/Mehro Consultants.
8.	भवन की ऊँचाई	32.00 मीटर.
9.	स्कीम आवासीय है अथवा वाणिज्यिक है (मल्टीप्लेक्स या माल से भिन्न)	आवासीय ग्रुप हाउसिंग.
10.	मंजिलो (फ्लोर) की संख्या :- Basement + STAIR + 09 Storeys	

तृतीय यह कि उक्त सम्पत्ति में, इस घोषणा पत्र के अनुलग्नक 'ख' में वर्णित अपार्टमेंट सम्मिलित है। योजना के विभिन्न अपार्टमेंट, भवन/सम्पत्ति योजना के साझा क्षेत्रों तथा सुविधाओं में अपना अलग निकास रखने के कारण, व्यक्तिगत उपभोग के लिए सक्षम है, और अपार्टमेंट का विक्रय एक या अधिक व्यक्तियों को किया जाएगा जिससे प्रत्येक व्यक्ति को विशिष्ट और अनन्य संपत्ति अधिकार

CC
10/8/14
10
[Signature]

[Signature]
10/8/14

प्राप्त होगा और प्रत्येक अपार्टमेन्ट, राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अर्थान्तर्गत एक परम्परानुगत और हस्तान्तरणीय जंगम (अचल) सम्पत्ति होगा और उसका भवन/ सम्पत्ति योजना के सामान्य और/या सीमित साझा क्षेत्रों और सुविधाओं में अविभाजित हित भी होगा, जो उनके सम्यक् प्रयोग और उपभोग करने के लिए आवश्यक है, और जिन्हें निम्नवत् कहा गया है :-

(क) किसी ब्लॉक के निवास इकाइयों के लिए साझा सुविधाएं,

(ख) अपार्टमेन्ट हेतु सीमित साझा सुविधाओं का तात्पर्य उन साझा क्षेत्रों और सुविधाओं से है जिन्हें प्रमोटर द्वारा अन्य अपार्टमेन्टों हेतु अपवर्जन के साथ किसी अपार्टमेन्ट या कतिपय अपार्टमेन्टों के उपयोगार्थ, लिखित रूप में निर्दिष्ट किया गया है”

चतुर्थ यह कि उपर्युक्त भवन में सभी तलों पर कुल तलीय क्षेत्रफल ^{10197.23} वर्गमीटर है जिसका 9025.301 वर्गमीटर में अपार्टमेन्ट्स होगा और शेष 994.41 वर्गमीटर साझा क्षेत्र और सुविधाएं बनायेगा और 177.52 वर्गमीटर सीमित साझा क्षेत्र और सुविधाओं के लिए होगा, जो इसके साथ संलग्नक 'ग' में वर्णित किये गये हैं।

हिन्डन हाइविस अपार्टमेंट्स

पंचम यह कि फ्लैट श्रृंखला को A नाम से जाना जायेगा (भवन/योजना का नाम जैसा ऊपर दिया गया है प्रविष्ट करें) और यह कि अपार्टमेन्ट्स और साझा क्षेत्रों और सुविधाओं (अधिनियम की धारा 3 (एक) में यथा परिभाषित), भवन/योजना के सीमित साझा क्षेत्रों और सुविधाओं (अधिनियम की धारा 3(ध) में यथापरिभाषित) और स्वतंत्र क्षेत्र (अधिनियम की धारा 3 (त) में यथा परिभाषित) निम्नलिखित प्रकार के होंगे :-

क्र०स०	प्रकार	विवरण
1.	साझा क्षेत्र में सुविधाएं (अधिनियम की धारा 3 (अ) में यथापरिभाषित)	संलग्नक 'घ' के अनुसार
2.	सीमित साझा क्षेत्र और सुविधाएं (अधिनियम की धारा 3 (ध) में यथापरिभाषित)	संलग्नक 'ड' के अनुसार
3.	स्वतंत्र क्षेत्र (अधिनियम की धारा 3 (त) में यथापरिभाषित)	संलग्नक 'च' के अनुसार

छठा यह कि प्रत्येक अपार्टमेन्ट स्वामी के अधिकार, स्वामित्व और हित और साझा क्षेत्रों और सुविधाओं के लिए लाभ और साझा व्यय में, उसका आनुपातिक भाग, यथा 90 फ्लैट श्रृंखला के अपार्टमेन्ट स्वामियों के संघ की बैठक में मतदान के प्रयोजनार्थ आनुपातिक प्रातिनिधित्व समस्त अपार्टमेन्ट के कुल मूल्य के अनुपात में प्रत्येक अपार्टमेन्ट का आनुपातिक मूल्य आधारित है।

सप्तम यह कि उपरिवर्णित भूमि के भवन और पार्सल का उक्तानुरूप सम्मिलित फ्लैट श्रृंखला का प्रशासन इस विलेख के उपबन्धों और अपार्टमेंट्स स्वामियों के संघ की उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार होगा। स्थल सामग्री की गुणवत्ता नियंत्रण और कर्मकौशल के लिए उत्तरदायी होगा। निर्माण की विशिष्टताएं इसकी अनुसूची 'क' में हैं।

आठवां यह कि अधिनियम की धारा 13 के अधीन अपार्टमेंट्स के विलेख के लिए देय स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस के प्रयोजनार्थ उसका मूल्य -

[Signature]
10.8.14

26

- (क) अविभाजित भाग के प्रतिशत के आधार पर प्रत्येक अपार्टमेंट की भूमि आगणित की जायेगी ताकि भवन के सभी अपार्टमेंट्स का कुल भूमि घटक भवन की भूमि के कुल मूल्य के समतुल्य हो,
- (ख) प्रत्येक अपार्टमेंट के निर्माण का आगणन भी अविभाजित भाग के प्रतिशतता के आधार पर किया जायेगा जैसे कि यह कुल आच्छादित क्षेत्र धारित करता है।

नवां यह कि साझा क्षेत्र ओर सुविधाएं तथा सीमित साझा क्षेत्र और सुविधाएं अविभाजित रहेगी और कोई अपार्टमेंट स्वामी उनके विभाजन या प्रथक्करण की कार्यवाही नहीं करेगा।

दसवां यह कि साझा क्षेत्रों और सुविधाओं तथा "सीमित साझा क्षेत्रों और सुविधाओं" में अविभाजित हित का प्रतिशत का प्रतिशत सभी अपार्टमेंट्स स्वामियों की निर्विरोध सहमति और इस विलेख के संशोधन में व्यक्त सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना परिवर्तित नहीं की जायेगी।

ग्यारहवां यह कि साझा क्षेत्रों और सुविधाओं तथा सीमित साझा क्षेत्रों और सुविधाओं में अविभाजित हित उन अपार्टमेंट्स से जिससे वे सम्बन्धित है, अलग नहीं किया जायेगा और उस इकाई के साथ संबद्ध अथवा भारित समझे जायेंगे यद्यपि ऐसा हित अभिव्यक्त रूप से संपत्ति हस्तान्तरण के कानूनी दस्तावेज अथवा अन्य लिखित रूप में उल्लिखित नहीं किया गया है।

बारहवां यह कि सम्पत्ति का अर्पण न हो तो अपार्टमेंट स्वामित्व के प्लान के लिए रद्द किया जायेगा, न ही अपार्टमेंट स्वामित्व के प्लान से सम्पत्ति हटायी जायेगी अथवा इसमें किसी उपबन्ध का तब तक संशोधन नहीं किया जायेगा जब तक कि सभी अपार्टमेंट स्वामी बंधक इकाईयों को आच्छादित करने वाले देनदार (मार्गीज) ऐसे रद्दीकरण के लिए सहमत नहीं होते हैं अथवा केवल रजिस्ट्रीकृत लिखतों के द्वारा प्लान से सम्पत्ति के हटाए जाने का संशोधन नहीं करते हैं।

तेरहवां यह कि अपार्टमेंट स्वामित्व के अद्यधीन सम्पत्ति पूर्णतः या अंशतः क्षतिग्रस्त या विनष्ट होती है, तो मरम्मत, पुनर्निर्माण अथवा सम्पत्ति की व्यावस्था अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी।


10. 8. 14

पैदाहवां यह कि जहां कोई अपार्टमेन्ट बंधक धन की वसूली के निमित्त विक्रीत किया जाता है, तब न तो देनदार न ही क्रयकर्ता अथवा उनके उत्तराधिकारी या समनुदेशिती जो ऐसे विक्रय से अपार्टमेंट का अधिकार पाते हैं, संगठन द्वारा किये गये किसी मूल्यांकन के लिए दायी होंगे जो कि ऐसे अधिग्रहणकर्ता द्वारा अधिकार के अधिग्रहण के पूर्व देय हो गया था, लेकिन अपार्टमेन्ट स्वामियों का संगठन ऐसे अधिग्रहण के दिनांक के लिए परवर्ती धनराशि की वसूली के लिए हकदार होगा।


पन्द्रहवां यह कि संलग्नक 'च' में घोषित "स्वतंत्र क्षेत्र" अपार्टमेन्ट के संयुक्त उपयोग के लिए साझा क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं है और उन्हे बेचने अथवा अधिनियम की धारा 3 (त) के उपबन्धों के दृष्टिगत अन्य अपार्टमेन्ट स्वामियों पर हस्तक्षेप किये बिना प्रमोटर को उन पर निर्माण की स्वतंत्रता होगी।

सोलहवां संघ के बनाए जाने तक प्रमोटर साझा क्षेत्रों और सुविधाओं को अनुरक्षित करेगा और प्रत्येक अपार्टमेन्ट के स्वामी से प्रति माह रु0.....-शून्य-..... की दर से अनुरक्षण प्रभार संग्रहित करने का हकदार होगा। उक्त सौसाइली में RWA गठित है तथा सात वर्ष पूर्व ही योजना RWA के हस्ताक्षरित की जा चुकी है।

उसके साक्षी श्री^x..... मेसर्स के लिए तथा की ओर से^x.....
(प्रमोटर) इस दिनांक^x..... वर्ष^x..... में यहां अपना हस्ताक्षर (Hand) करें।

निम्नलिखित की उपस्थिति में द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित किया गया
(प्रमोटर की मुहर)

- 1-
- 2-


10.8.14

भवन की भूमि का विवरण जिससे वर्तमान घोषणा संबंधित है।

क्र०सं०	प्रकार		
1.	भवन के भूमि की अवस्थिति	राजस्व तहसील जिला	उल्लेख करें। उल्लेख करें। उल्लेख करें।
2.	क्षेत्र के साथ सर्वेक्षण संख्या	संख्या का उल्लेख करें।	क्षेत्र का उल्लेख करें।
3.	अधिकार का अन्तिम दस्तावेज का दिनांक जिसके अधीन प्रमोटर ने भूमि का दावा किया है।	दिनांक लिखें	
4.	उपरोक्त अधिकार दस्तावेज के रजिस्ट्रेशन का विवरण	पुस्तक सं०	उल्लेख करें।
		वालय सं०	उल्लेख करें।
		पृष्ठ सं०	उल्लेख करें।
		क्र०सं०	उल्लेख करें।
		रजि० का दिनांक	उल्लेख करें।
5.	भूमि की सीमाएं	उत्तर	उल्लेख करें।
		दक्षिण	उल्लेख करें।
		पूर्व	उल्लेख करें।
		पश्चिम	उल्लेख करें।
6.	भूमि फ्री होल्ड या पट्टायुक्त		उल्लेख करें।
7.	यदि भूमि पट्टायुक्त है, तो पट्टे की समाप्त न हुई काल अवधि		उल्लेख करें।

प्रश्नगत सम्पत्ति, प्राधिकरण से क्रय की गयी थी, जिसका अधिकार परिवर्तन प्रपत्र दिनांक 05.10.1989 को दिया गया। छाया प्रति संलग्न है।

स्थान

दिनांक

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर
10.8.14
पदनाम और मुहर सहित
(Director)

संलग्नक 'ख'

(अपार्टमेंट्स का विवरण)

कण्डोमिनियम का नाम -

हिन्दर हाइट्स अपार्टमेंट्स, सेक्टर-4, वेणाली।

कण्डोमिनियम का मूल्य -

क्र० सं०	तल	अपार्टमेंट की पहचान योग्य सं०	कमरों की संख्या	आच्छादित क्षेत्रफल (वर्गमी० में)	अपार्टमेंट के आधारित क्षेत्र के आधार पर भूमि में अविभाजित भाग की प्रतिशतता	अपार्टमेंट के स्वामियों के संगठन की बैठक में मतदान हेतु आनुपातिक प्रातिनिधित्व	अनुमोदित उपयोग आवासीय/वाणिज्यिक	अपार्टमेंट का मूल्य
1	2	3		4	5	6	7	
1	भूति तल	001		उल्लेख करें	उल्लेख करें	उल्लेख करें	उल्लेख करें	उल्लेख करें
		002		तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
		003		तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
		क्रमशः आगे		तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
2.	प्रथम तल	101		तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
		102		तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
		103		तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
		क्रमशः आगे		तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
3.	आगे के तल	201		तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
		202		तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
		203		तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
		क्रमशः आगे		तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

टिप्पणी :-स्तम्भ सं०-4 का पूर्ण योग होने पर अपार्टमेंट्स के कुल आच्छादित क्षेत्रों के सम्बन्ध में भूमि में अविभाजित भाग की प्रतिशतता किसी अपार्टमेंट के आच्छादित क्षेत्र के आधार पर संगणित की जाती है।

श्रमण ग्राहक की क्षया प्रति संलग्न है।

स्थान Atangali/Ghoyibad

दिनांक 10.8.14

घोषणाकर्ता का हस्ताक्षर

10.8.14
पदनाम और मुहर सहित


Atangali

अपार्टमेंट्स का आच्छादित क्षेत्र और साझा क्षेत्रों और सुविधाओं / साझा क्षेत्रों और सुविधाओं का कुल आच्छादित क्षेत्र का विवरण :-

क्र०सं०	विवरण				
1	2	3	4	5	6
(क)	विभिन्न तलों पर अपार्टमेंट का कुल आच्छादित क्षेत्र	विनिर्दिष्ट करें।	-	-	-
(ख-1)	साझा क्षेत्रों और सुविधाओं का कुल आच्छादित क्षेत्र (अधिनियम की धारा 3(झ) में यथा परिभाषित)	- 9025.301 वर्गमी.	विनिर्दिष्ट करें।	-	-
(ख-2)	सीमित साझा क्षेत्रों और सुविधाओं का कुल आच्छादित क्षेत्र (अधिनियम की धारा 3(ध) में यथा परिभाषित)	- 177.52 + Stilt Floor m ²	-	विनिर्दिष्ट करें।	-
(ग)	भवन का कुल आच्छादित क्षेत्र {(क), (ख-1) और (ख-2) का योग}	- 10197.23 वर्गमीटर.	-	-	विनिर्दिष्ट करें।
	सम अप	अर्थात (क)	अर्थात (ख-1)	अर्थात (ख-2)	अर्थात

स्थान गा. वाट

दिनांक 10.8.14


घोषणाकर्ता का हस्ताक्षर
पदनाम और सील सहित
(Director)

संलग्नक 'घ'

भवन का साझा क्षेत्र और सुविधाओं का विवरण जिसमें वर्तमान घोषणा सम्बन्धित है -

क्र०सं०	साझा क्षेत्र और सुविधाओं का नाम	इसका वर्णन/क्षेत्र	
(क)	इस विलेख के प्रथम पैरा में वर्णित भूमि का पार्सल		
(ख)	बेसमेन्ट (यदि कोई हो) (इसमें संलग्न प्रदर्श 'क' में यथा प्रदर्शित)	वर्गमीटर और इसके तल Single Basement. 1115.91 M²	
(ग)	बेसमेन्ट में सुविधायें	बेसमेन्ट में स्थित मदों का विस्तृत सर्विस वर्णन	
(घ)	पार्किंग सुविधायें (इसमें संलग्न प्रदर्श 'क' में यथा प्रदर्शित)	वर्गमीटर स्ट्रिक्ट फ्लोर 1113.30 M²	
(ङ)	भूतल पर सुविधायें (इसमें संलग्न प्रदर्श 'क' में यथा प्रदर्शित)		
(च)	(एक)	उद्यान लान	X वर्गमीटर में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल
	(दो)	बाल क्रीड़ा क्षेत्र	X वर्गमीटर में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल
	(तीन)	तरण-ताल	X वर्गमीटर में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल
	(चार)	टेनिस कोर्ट	X वर्गमीटर में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल
	(पांच)	बैडमिन्टन कोर्ट	X वर्गमीटर में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल
	(छः)	वाणिज्य क्षेत्रों और सुविधाएं	X वर्गमीटर में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल
	(सात)	लाबी और सुविधाएं	X वर्गमीटर में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल
	(आठ)	कोई अन्य सुविधा	X वर्गमीटर में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल
		भवन में सर्वत्र स्थित सामान्य क्षेत्रों और सुविधाएं (प्रदर्श 'क' में यथा प्रदर्शित)	As per compounding Plan
	(एक)	लिफ्ट	Two विनिर्दिष्ट संख्या
(दो)	शाफ्ट/शाफ्टों का क्षेत्र	वर्गमीटर में विनिर्दिष्ट क्षेत्र 02	
(तीन)	लिफ्ट की शाफ्ट भूतल से ——— तक बढ़ी हो	तल को विनिर्दिष्ट करें।	
(चार)	'क' सीढियों की संख्या, जो भूतल से भवन की छत तक आती हो	उनका विवरण, संख्या और वर्गमीटर 02 Fire Escape में क्षेत्रफल, विनिर्दिष्ट करें। 01 main Stair	
(पांच)	'ख' सीढियां (यदि कोई हो) जो खुले मैदान से ऊपर के तलों पर जाती हो।	उनका विवरण संख्या और वर्गमीटर में क्षेत्रफल विनिर्दिष्ट करें।	
(छः)	भूगोह में कूड़ा निस्तारण संयंत्र से निकली धुआँ की नली (यदि प्रयोज्य हो) जो भवन की छत तक हो और जिसमें प्रत्येक ऊपरी तल पर कूड़ा करकट और रद्दी के	X	

	निस्तारण के लिए नल होने वाले दरवाजे हो और प्रत्येक ऊपरी तल के जेनिटर कक्ष से निस्तारण योग्य सामग्री मिलेगी।	
(सात)	जलाशय (जलाशयों की संख्या)	01 - Under Ground Tank 01 - over head Tank
(आठ)	लिफ्ट का पेन्ट हाउस जिसमें भवन की छत पर स्थित लिफ्ट से जुड़े उपस्कर रखे हो।	Lift Room
(नौ)	पूरे भवन में फैला फ्लम्बरिंग का जाल	Available
(दस)	पूरे भवन में फैला बिजली वायरिंग का जाल	Available
(ग्यारह)	आवश्यक प्रकाश व्यवस्था	Available
(बारह)	दूरभाष	-
(तेरह)	सार्वजनिक नल के संयोजन	Yes
(चौदह)	भवन की नींव और मुख्य दीवारें, स्तम्भ, गर्डर, बीम और छत	As per Structure Designed.
(पन्द्रह)	टैंक	संख्या व क्षमता विनिर्दिष्ट करें As per Fire NTC
(सोलह)	पम्प	संख्या व क्षमता विनिर्दिष्ट करें 02
(सत्रह)	मोटर	संख्या व क्षमता विनिर्दिष्ट करें 02
(अट्ठारह)	पंखे	संख्या व क्षमता विनिर्दिष्ट करें 02
(उन्नीस)	अग्निशामक उपस्कर	विवरण दें। As per fire norms
(बीस)	कम्प्रेसर	-
(इक्कीस)	डक्ट	-
(बाईस)	केन्द्रीय वातानुकूलन उपस्कर	X
(तेईस)	गरम करने वाले उपस्कर	X
(चौबीस)	सामान्य उपयोग के विद्यमान सभी साधारण उपस्कर और स्थापित सामग्री	X

स्थान Chaykul

दिनांक 10.8.14

पदनाम और मुहर सहित

घोषणाकर्ता का हस्ताक्षर [Signature] Director


टिप्पणी :- अधिनियम की धारा-3(झ) में साझा क्षेत्र और सुविधाएं परिभाषित हैं और उपर्युक्त साझा क्षेत्र और सुविधाएं विवरणात्मक हैं और विस्तार नहीं है।

अनुलग्नक 'ड'

भवन के सीमित साझा क्षेत्र और सुविधाओं का विवरण जिससे वर्तमान घोषणा सम्बन्धित है :-

सीमित साझा क्षेत्र और सुविधाएं (जैसा अधिनियम की धारा-3(ध) में परिभाषित और प्रदर्श 'क' में प्रदर्शित है।)		
(एक)	पार्किंग	इसका क्षेत्रफल, स्थान और संख्या विनिर्दिष्ट करें। <i>As per shown in Stilt floor plan</i>
(दो)	विनिर्दिष्ट आवासीय इकाई की लिफ्ट के पहुंच बनाने वाली लाबी	इसका क्षेत्रफल, स्थान और संख्या विनिर्दिष्ट करें। <i>147.50 Sqft/ floor</i>
(तीन)	लाबी से सीढ़ी विस्तृत कारीडोर	इसका क्षेत्रफल, स्थान और संख्या विनिर्दिष्ट करें।

स्थान Ghaziabad



पदनाम और मुहर सहित हस्ताक्षर

दिनांक 10.8.14

टिप्पणी:- अधिनियम की धारा-3 (ध) में परिभाषित पद सीमित साझा क्षेत्र और सुविधाएं का तात्पर्य है "ऐसे साझा क्षेत्र और सुविधाएं जो किसी अपार्टमेंट के आवंटन, विक्रय या अन्तरण से प्रमोटर द्वारा लिखित रूप से अन्य अपार्टमेंटों को छोड़ते हुए कतिपय अपार्टमेंट या अपार्टमेंटों के उपयोग के लिए आरक्षित अभिहित किये गये हो।

भवन के स्वतंत्र क्षेत्रों का विवरण जिनसे यह घोषणा-पत्र सम्बन्धित है -

(जैसा कि अधिनियम की धारा-3(त) में परिभाषित है)		
(एक)	पार्किंग	इसका क्षेत्रफल, स्थिति और संख्या विनिर्दिष्ट करें। <i>Steel Floor</i>
(दो)	नौकर का क्वार्टर	इसका क्षेत्रफल, स्थिति और संख्या विनिर्दिष्ट करें। X
(तीन)	स्वतंत्र पहुंच मार्ग सहित क्लब	इसका क्षेत्रफल, स्थिति और संख्या विनिर्दिष्ट करें। X
(चार)	सार्वजनिक दुकानें	इसका क्षेत्रफल, स्थिति और संख्या विनिर्दिष्ट करें। X
(पांच)	आच्छादित गैराज/भण्डार	इसका क्षेत्रफल, स्थिति और संख्या विनिर्दिष्ट करें। X
(छः)	अपार्टमेन्ट से लगा हुआ बरामदा (यदि प्रयोज्य हो)	इसका क्षेत्रफल, स्थिति और संख्या विनिर्दिष्ट करें। X

टिप्पणी :-

स्थान *Ghaziabad*

दिनांक .. *10.8.14*



पदनाम और मुहर सहित हस्ताक्षर

अनुसूची 'क'

(निर्माण की विनिर्दिष्टियाँ)


1. नींव - R.C.C. Raft Foundation
2. फर्श बनाना - Mosaic Floor/Tiled Floor
3. दरवाजे और हार्डवेयर - Flush Door - M.S./Aluminium
4. खिड़कियाँ - Wooden
5. आन्तरिक अन्तिम रूप - As per P.W.D. Specification
6. बाह्य अन्तिम रूप - As per P.W.D. Specification
7. स्वच्छता के सामान और फिटिंग्स - As per P.W.D. Specification
8. विद्युत - As per U.P.E. Board NTC
9. प्लम्बरिंग और जल की लाईन - As per Norms approved.

स्थान Ghaziabad

दिनांक 10.8.14

पदनाम और मुहर सहित

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर


Date



JAISWAL & ASSOCIATES
 ARCHITECTS & ENGINEERS
 B-109, SARVODAYA ENCLAVE
 NEW DELHI - 110017
 PHONE : 6861448, 6861453, FAX : 6864304

PRINCIPAL ARCHITECTS

Regn. No. CA-79-5285
 VIJAY KUMAR

[Handwritten signature]

BUILDERS & ENGINEERS PVT. LTD.

KURSELA PRECISION

CONSULTANT

DRG. NO. CD-01	DEALT	OM PRAKASH
	DATE	OCT. 00
	SCALE	1" = 1'-0"
TITLE	GROUND FLOOR PLAN	

PROJECT
 PLOT NO.-21, HINDON HEIGHT APTT.
 AT VAISHALI CHAZIABAD

COMPLETION DRAWING

REVISION & PRINT SCHEDULE

DESCRIPTION	R.NO.	DATE	P.NO.	ISSUED TO	DECL. BY

[Handwritten notes]

[Handwritten notes]

(11) ...

(12) ...

(13) ...

(14) ...

(15) ...

...



...

...

...

...




...

...

...

COURT
OPEN TO SKY

OPEN 1:6



15'-3"

12'

12'

12'

12'

12'

21'

H₁₅

19'-10 1/2"


7'-0 1/2"

24'-9"

7'-0 1/2"

9'-9"

31'-10 1/2"



RECEPTION
AREA=2043.08 sq.ft
(189.81 sq.m)
30'-6" x 25'-3"

TOILET
11'-3" x 17'-3"

M.E. 17'-0" x 17'-3"
UP
17'-3"

M.E. 15'-0" x 8'-1"

STORE

VA11

VA11

VA10

VA9

UP
DN

COURTYARD
OPEN TO SKY

PARKING AREA

PARKING AREA

18'-11"

19'-8"

LVL +5'-0"

15'-1 1/2"

11'-3"

SLOPE 1:6

RAMP 1
(15'-0" WIDE RAMP)
LVL +1'-0"

9'-4 1/2"

18'-11"

16'-11"

11'-3"

12'

12'

11'-11"

12'


12'

12'

12'

H₁₀




H₁₁



KLING AREA





UP DN



COURTYARD
OPEN TO SKY




LOBBY



AREA = 2043.08 sq ft
(189.81 sq m)


RECEPTION

PARKING



STOR

12 STORE



PLANTER

H₂

H₃

H₄

H₅

H₆

H₇

12'

12'

12'

12'

12'


12'


12'-11"


12'-5"

12'

12'







JAIHWAL & ASSOCIATES
 ARCHITECTS & ENGINEERS
 E-109, SARVODAYA ENCLAVE
 NEW DELHI - 110017
 PHONE : 6861448, 6861453 FAX : 6964304



ARCHITECTS

Regn. No. CA-79-5288

INDIAN NATIONAL

SCALE & END OF 10
 PRECISION

Handwritten signatures and initials

CONSULTANT	
SCALE	N.T.S. NORTH
DATE	Oct'03
DEPT	OM PRAKASH
AREA CHART	
FILE	

HINDON HEIGHT APPT. AT PLOT NO.-21
 VAISHALI GHAZIABAD

SUBMISSION DRAWING

REVISION & PRINT SCHEDULE

NO.	DATE	BY	REVISION

SE
 (ESCAPE)
 2x97.08

1983.58 SQ. FT.

GROUND COVERAGE

GROUND COVERAGE = FLAT AREA(TYPICAL FLOOR) + STAIRS
 + CIRCULATION + LIFT AREA(43+44) + STAIRCASE (F)
 " = 10794.26 + 215.16 + 826.66 + 420.88
 " = 12451.12 SQ.M.

= 4000 SQ.M. = 43040 SQ.FT.

BLE F.A.R. = 2.5

BLE COV. AREA AS/F.A.R. = 4000x2.5
 = 10000 SQ.M. = 107600 SQ.FT.

GR. COVERAGE (30%) = 1200 SQ.M. = 12912 SQ.FT.

D AREA:-

FLOOR AREA = 1910.87 SQ.FT. = 177.59 SQ.M.

FLOOR AREA = 11983.58 SQ. FT. = 1113.72 SQ.M.

GR. COVERAGE = 12451.12 SQ.FT. = 28.93%

COVERED AREA = (GR. FLOOR + 9xTYPICAL FLOOR AREA)

COVERED AREA = (1910.87 + 9x11983.58)

COVERED AREA = (1910.87 + 107852.22) SQ.FT.

COVERED AREA = 109763.09 SQ.FT.

AT

AREA- A2 TYPE FLAT

- 1=22.0 SQ.FT.
- 2=718.45 SQ.FT.
- 3=72.56 SQ.FT.
- 15=3.00 SQ.FT.
- 4=51.00 SQ.FT.
- 5=301.64 SQ.FT.
- 6=76.29 SQ.FT.
- TOTAL=1244.94 SQ.FT.

SQ.FT.

AT

AREA- A3 TYPE FLAT

- 29=67.50 SQ.FT.
- 30=798.12 SQ.FT.
- 31=297.00 SQ.FT.
- 32=28.75 SQ.FT.
- TOTAL=1191.37 SQ.FT.

AREA- B1TYPE FLAT

- 11=249.42 SQ.FT.
- 12=33.03 SQ.FT.
- 13=7.86 SQ.FT.
- 15=7.45 SQ.FT.
- 16=410.45 SQ.FT.
- 17=139.30 SQ.FT.
- 18=34.75 SQ.FT.
- 19=13.18 SQ.FT.
- 20=19.35 SQ.FT.
- 21=39.22 SQ.FT.
- 22=7.84 SQ.FT.

AREA ON GR. FLOOR

- 29=67.50 SQ.FT.
- 43=228.75 SQ.FT.
- 44=192.13 SQ.FT.
- 48=215.16 SQ.FT.
- 49=909.56 SQ.FT.
- 50=32.34 SQ.FT.
- 51=34.10 SQ.FT.
- 52=45.70 SQ.FT.
- 53=185.63 SQ.FT.

CIRCULATION AREA:-

- 33=7.50 SQ.FT.
- 34=4.50 SQ.FT.
- 35=2x85.00=170.00 SQ.FT.
- 36=2x28.75=57.50 SQ.FT.
- 37=2x217.81=435.62 SQ.FT.
- 38=2x0.80=1.60 SQ.FT.
- 39=2x48.67=97.34 SQ.FT.
- 40=2x26.30=52.60 SQ.FT.
- TOTAL=826.66 SQ.FT.

SE LOBBY

TOTAL=1910.87 SQ.FT.

=215.16 SQ.FT.

FLOOR AREA = { (A1 + 2xA2 + A3 + 4xB1 + 2xB2) + C1 (circulation) + lift lobby + staircase lobby }
 (1223.15 + 2x1244.94 + 1191.37 + 4x961.85 + 2x1021.23) - 826.66 + 147.50 + 215.16 }
 (1223.15 + 2489.88 + 1191.37 + 3847.40 + 2042.46)

(14) बेरोजगारी से जल विद्युत की शक्ति का उपयोग करके बेरोजगारी से निपटारे में जल शक्ति के कारण होने वाली बेरोजगारी को दूर करने के लिए पर्याप्त ध्यान देना।

(15) शक्ति जनित प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त ध्यान देना।



(16) शक्ति जनित प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त ध्यान देना।

(17) शक्ति जनित प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त ध्यान देना।

(18) शक्ति जनित प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त ध्यान देना।

(19) शक्ति जनित प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त ध्यान देना।

(20) शक्ति जनित प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त ध्यान देना।

SE
(ESCAPE)
2x97.08

52 = 43.70 SQ. FT.
53 = 185.63 SQ. FT.

TOTAL = 1910.87 SQ. FT.

SE LOBBY = 215.16 SQ. FT.

FLOOR AREA = { (A1 + 2XA2 + A3 + 4XB1 + 2XB2)
+ C1 (circulation) + lift lobby + staircase lobby }

(1223.15 + 2x1244.94 + 1191.37 + 4x961.85 + 2x1021.23)

- 826.66 + 147.50 + 215.16 }

(1223.15 + 2489.88 + 1191.37 + 3847.40 + 2042.46)

826.66 + 147.50 + 215.16 }

10794.26 + 1189.32) SQ. FT.

1983.58 SQ. FT.

GROUND COVERAGE


GROUND COVERAGE = FLAT AREA (TYPICAL FLOOR) + STAIRCASE

+ CIRCULATION + LIFT AREA (43 + 44) + STAIRCASE (FIR

" = 10794.26 + 215.16 + 826.66 + 420.88 +

" = 12451.12 SQ. M.

300 M - 13040 SQ. FT.



AREA-A1 TYPE
 7=45.81 SQ.FT
 8=792.14 SQ.F
 9=356.45 SQ.F
 10=28.75 SQ.F
 TOTAL=1223.1

AREA-B2 TYPE
 23=46.47 SQ.FT
 24=106.90 SQ.FT
 25=659.30 SQ.FT
 26=40.07 SQ.FT
 27=121.92 SQ.FT
 28=40.07 SQ.FT
 14=6.50 SQ.FT
 TOTAL=1021.23 SQ

AREA-LIFT LOB
 43=147.50 SQ

AREA-STAIRCA
 TOTAL AREA (43)

TYPICAL F

{} = " "
 {} = " "

REVISE
REVISE

||

||

PLOT S
PERMIS
PERMIS

ALLOWE

REVISE

GROUND

TYPICAL


REVISE

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL



IN

AREA-LIFT L

43 = 147.50

AREA-STAIR

TOTAL AREA

TYPICAL

" "

" "

" "

" "


REVISED


REVISED


"

PARKING

TYPICAL FLOOR PLAN









GROUND FLOOR

PARKING



NOTES :

ONLY WRITTEN DIMENSIONS SHOULD BE FOLLOWED

ARCHITECT MUST BE INFORMED FOR ANY ADDITIONAL INFORMATION REQUIRED OR IN CASE OF ANY DISCREPANCY BEFORE COMMENCEMENT OF WORK ON SITE

ALL DRAWINGS & WRITTEN MATERIAL APPEARING HEREIN CONSTITUTE THE ORIGINAL AND UNPUBLISHED WORK OF THE ARCHITECT AND THE SAME MAY NOT BE DUPLICATED, USED OR DISCLOSED WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF THE ARCHITECT.

OPENING SCHEDULE

NAME	SIZE	CELL LVL	LINT LVL	LOCATION	REMARKS

गाज़ियाबाद

विकास 148/23

प्राधिकरण

पक्ष द्वारा प्रस्तुत शमन प्रस्ताव पत्र दिनांक 17-2-04/ अनुसारे शमन धनराशि रु. 83,95,197/- की मद से 64/7567 दिनांक 18.12.2001 के अन्तर्गत प्रस्तावी मकान निर्माण उपविधि, शर्मित उपविधि एवं शपथ पत्र के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु निर्धारित शर्तों के साथ प्राधिकरण द्वारा शमन प्राधिकरण को आदेश दिनांक 18.12.2001 की अवधानना का उत्तरदायी होगा।

- (1) गवन में शमनित 90 इकाईयों से अधिक इकाईयों का निर्माण नहीं किया जायेगा।
- (2) आवासीय गवन के फ्लोरी भी तल अथवा बेसमेन्ट में कोई दुकान/ऑफिस/व्यवसायिक कार्य नहीं किया जायेगा।
- (3) शमन उपशान्त गवन में कोई परिवर्तन/अतिरिक्त निर्माण नहीं किया जायेगा।
- (4) बेसमेन्ट में जल निकासी की समुचित व्यवस्था पक्ष को स्वयं सुनिश्चित करनी होगी। बेसमेन्ट में किसी भी प्रकार से जल गिराव होने के कारण होने वाली क्षति के लिए पक्ष उत्तरदायी होगा।
- (5) शमनित गवनित में लागू रंग रीति अशमनीय गगन को पक्ष द्वारा निर्धारित अथवा के द्वारा स्वीकृत होगा। प्राधिकरण वैधानिक कार्यवाही करने हेतु प्रस्ताव होगा कि अशमनीय गगन को प्राधिकरण द्वारा हटा दिया जायेगा। हटायें जाने में कोई राधा आवाग वह पक्ष को तत्सही प्रमाण पत्र के माध्यम से गृह विभाग के रूप में बसेना जायेगी।

(अवरो अतिरिक्त)



(अवरो अतिरिक्त)

⑤ शमनित उपशान्त समुचित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए शमनित होगा।

⑥ समुचित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए शमनित होगा।

किन्तु शील कला होगा एवं कला विभाग का स्थायी अनुपात पत्र प्राप्त करने के लिए होगा।

⑦ समुचित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए शमनित होगा।

कला तथा कला

JAIWAL & ASSOCIATES
 ARCHITECTS & ENGINEERS
 H-100, BANARASDAVA ENCLAVE
 NEW DELHI
 PHONE : 0011-2611133 FAX : 0011-2611134



Regd. No. CA-79-5288
 V.K. LUMAR

[Handwritten signature]

PROJECT ARCHITECTS
 BUILDING & STRUCTURE
 INTERIORS ARCHITECTURE
 SW/ENR

DRG. NO.	DATE	SCALE
	07/11/2013	1/4" = 1'-0"
SECTION	DATE	SCALE
SECTION D-R		


PROJECT
 HINDON HEIGHTS APARTMENT
 AT VAISHALI, GHAZIABAD

COMPLETION DRAWING

REVISION & PRINT SCHEDULE

DESCRIPTION	R. NO.	DATE	P. NO.	ISSUED TO	DEPT. BY

[Handwritten notes and signatures at the bottom of the page]





STRUCTURAL DRAWING



TYPICAL I

TYPICAL II

TYPICAL III

TYPICAL IV

TYPICAL V

TYPICAL VI

TYPICAL VII

TYPICAL VIII

NOTES :

ONLY WRITTEN DIMENSIONS SHOULD BE FOLLOWED
 ARCHITECT MUST BE INFORMED FOR ANY ADDITIONAL INFORMATION REQUIRED
 OR IN CASE OF ANY DISCREPANCY BEFORE COMMENCEMENT OF WORK ON SITE.

ALL DRAWINGS & WRITTEN MATERIAL APPEARING HEREIN CONSTITUTE THE ORIGINAL AND
 AND UNPUBLISHED WORK OF THE ARCHITECT AND THE SAME MAY NOT BE DUPLICATED,
 USED OR DISCLOSED WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF THE ARCHITECT.

OPENING SCHEDULE

NAME	SIZE	CILL LVL.	LINT LVL.	LOCATION	REMARKS

गाजियाबाद

विकास

प्राधिकरण

पूरा मात्र प्रस्तावित शमन प्रारंभ पत्र दिनांक 14.8.03
 दिनांक 18.12.2001 के अनुसार शमन धनराशि रु. 8,39,519/- की शर्त अंदाज
 क्र. 304/03 का काम करने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वाचिका
 संख्या-43382/2001 एवं संज्ञा सं. 2001/13597 की शर्तों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में पारित आदेश
 दिनांक 18.12.2001 के अनुसार प्राथमिक मकान निर्माण उपविधि, शमन उपविधि एवं शमन पत्र के
 काम में पक्ष द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निम्नलिखित शर्तों के साथ प्राधिकरण द्वारा शमन
 मानचित्र निर्गत किया जाता है। निम्न अंकित शर्तों का उल्लंघन की स्थिति में पक्ष माननीय उच्च
 न्यायालय के आदेश दिनांक 18.12.2001 की अवमानना का उत्तरदायी होगा।

- (1) शमन में शामिल 90 इकाईयों से अधिक इकाईयों का निर्माण नहीं
- (2) आवासीय मकान के किसी भी तल अथवा बेसमेन्ट में कोई दुकान/ऑफिस/व्यवसायिक कार्य नहीं किया जायेगा।
- (3) शमन उपरान्त शमन में कोई परिवर्तन/अतिरिक्त निर्माण नहीं किया जायेगा।
- (4) बेसमेन्ट में जल निकासी की समुचित व्यवस्था पक्ष को स्वयं सुनिश्चित करनी होगी। बेसमेन्ट में किसी भी प्रकार से जल संचय होने के कारण होने वाली क्षति के लिए पक्ष उत्तरदायी होगा।
- (5) निर्मित मानचित्र में लागू रंग से चिह्नित आवासीय भाग को पक्ष द्वारा निर्धारित अधिकाधिक क्षेत्र स्वयं संभाला होगा। प्राधिकरण वैधानिक कार्यवाही करने हेतु प्रस्तावित होगा कि आवासीय भाग को प्राधिकरण द्वारा हटा दिया जायेगा। हटायें जाने में पक्ष स्वयं अपने वह पक्ष से वसूली प्रमाण पत्र के माध्यम से गैर-शमन के रूप में करवाया जायेगा।



(धरती अधिपति)

(सहायक अभियंता)

- 5) शमन उपरान्त समूचित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए शमन होगा।
- 6) समूचित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए शमन के लिए शमन पत्र प्राप्त करने के लिए शमन होगा।
- 7) शमन पत्र प्राप्त करने के लिए शमन पत्र प्राप्त करने के लिए शमन होगा।
- 8) शमन पत्र प्राप्त करने के लिए शमन पत्र प्राप्त करने के लिए शमन होगा।

JAIWAL & ASSOCIATES
 ARCHITECTS & ENGINEERS
 H-109, BARABATALA ENCLAVE
 NEW DELHI 110017
 PHONE: 088144 088144 FAX: 0884304



Regd. No. CA-79-5288
 VVA/1/10/MAR

Handwritten signature

REGISTERED ARCHITECTS

KURBELA WINDMILL
 BUILDERS & ENGINEERS

Handwritten initials

DRG. NO.	SECTION D-II
DATE	DATE
SCALE	SCALE
NO. OF SHEETS	NO. OF SHEETS

HINDON HEIGHTS APARTMENT
 AT VAISHALI CHAZIARAD

COMPLETION DRAWING

REVISION & PRINT SCHEDULE

DESCRIPTION	R.NO.	DATE	R.NO.	ISSUED TO	DATE

(12/17/11) (12/17/11)

(1) भवन में प्राविष्ट... 90 इकाईयों से अधिक इकाईयों का निर्माण नहीं

(2) आवासों का निर्माण के विषयी भी तब अथवा वेसपोस्ट में कोई दुकान/ऑफिस/बाजार कार्य नहीं किया जाएगा।

(3) भवन उपरान्त भवन में कोई परिवर्तन/अतिरिक्त निर्माण नहीं किया जाएगा।

(4) वेसपोस्ट में जहाँ विक्रय की सुविधा व्यवस्था एक को स्वयं सुविधा प्रदान करनी होगी वेसपोस्ट में किसी भी प्रकार से जहाँ व्यवस्था के कारण होने वाली बाधा के लिए वह उत्तरदायी होगा।

(5) निर्मित प्राविष्ट में लागू होने वाले आवश्यक मानकों को एक द्वारा निर्धारित आवास के अन्तर्गत प्रदान किया जाएगा। निर्माण के दौरान कार्य में कमी हेतु प्रकल्प लागू होने पर अनुसंधान मंत्रालय को प्रतिक्रिया द्वारा तब दिया जाएगा। प्रत्येक वर्ष में भी तब और तब तक प्रकल्प व्यवस्था में नूतनता के रूप में परिवर्तन करेगा।

निर्मित प्राविष्ट में लागू होने वाले आवश्यक मानकों को एक द्वारा निर्धारित आवास के अन्तर्गत प्रदान किया जाएगा। निर्माण के दौरान कार्य में कमी हेतु प्रकल्प लागू होने पर अनुसंधान मंत्रालय को प्रतिक्रिया द्वारा तब दिया जाएगा। प्रत्येक वर्ष में भी तब और तब तक प्रकल्प व्यवस्था में नूतनता के रूप में परिवर्तन करेगा।



(नगर अधिकारी)

(नगर अधिकारी)

(5) शान्त उपवास समुदाय प्रशासन द्वारा प्रकल्प 2004-05 में 11/11/11

(6) समुदाय प्रशासन द्वारा प्रकल्प 2004-05 में 11/11/11

(7) समुदाय प्रशासन द्वारा प्रकल्प 2004-05 में 11/11/11

(8) समुदाय प्रशासन द्वारा प्रकल्प 2004-05 में 11/11/11

Murmu

(अथवा अधिकारी)

(अथवा अधिकारी)

TYPICAL FLOOR PLAN

FLOOR

TYPICAL FLOOR PLAN

TYPICAL FLOOR PLAN

TYPICAL FLOOR PLAN

GROUND FLOOR LEVEL (11.41)

BAL

10'

LIVING

BAL

10'

LIVING

BAL

10'



LIVING

10'

PARKING

10'

STORAGE



2

OPEN TO

TO

TO

TO

LIFT WELL

ELECTRICAL SHAFT

TO

TO

TO

10'-6"

8'-2"

2'

7'-6"

2'

7'-6"


2'

7'-6"

2'

7'

SECTION AT B-B'



MACHINE ROOM

MACHINE ROOM LEVEL

SECTION A



NOTES

ONLY SHOWN DIMENSIONS SHOULD BE FOLLOWED.

ARCHITECT MUST BE INFORMED FOR ANY ADDITIONAL INFORMATION REQUIRED OR IN CASE OF ANY DISCREPANCY BEFORE COMMENCEMENT OF WORK ON SITE.

ALL DRAWINGS & WRITTEN MATERIAL APPEARING HEREIN CONSTITUTE THE ORIGINAL AND UNPUBLISHED WORK OF THE ARCHITECT AND THE SAME MAY NOT BE DUPLICATED, USED OR DISCLOSED WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF THE ARCHITECT.

OPENING SCHEDULE

NAME	SIZE	GLL. LVL	UNGL. LVL	LOCATION	REMARKS
------	------	----------	-----------	----------	---------

गाजियाबाद

विकास

प्राधिकरण

यहाँ द्वारा प्रस्तुत शमन प्रारम्भिक पत्र दिनांक 27.2.04 के अनुसार शमन मानचित्र क्र. 8.39.5.19.1, प्लॉट नं. 647569, संख्या-43362/2001 एरर/10/0 बनाने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका दिनांक 18.12.2001 के अनुसार प्रभावी भवन निर्माण उपलब्धि, शमन उपविधि एवं शपथ पत्र के तहत शमन अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के साथ प्राधिकरण द्वारा शमन मानचित्र निर्गत किया जाता है। निम्न अंतिम शर्तों का उल्लंघन की स्थिति में पक्ष माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.12.2001 की अवगमना का उत्तरदायी होगा।

- (1) भवन में शमनित 90 इकाईयों से अधिक इकाईयों का निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (2) आवासीय भवन के किसी भी तल अथवा बेसमेंट में कोई दुकान/ऑफिस/व्यवसायिक कार्य नहीं किया जायेगा।
- (3) शमन उपरान्त भवन में कोई परिवर्तन/अतिरिक्त निर्माण नहीं किया जायेगा।
- (4) बेसमेंट में जल निकासी की समुचित व्यवस्था पक्ष को स्वयं सुनिश्चित करनी होगी। बेसमेंट में किसी भी प्रकार से जल गिराव होने के कारण होने वाली क्षति के लिए पक्ष उत्तरदायी होगा।
- (5) शमनित मानचित्र में लाना से वरिष्ठ अशमनित भाग को पक्ष द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर स्वयं हटाना होगा। अथवा प्राधिकरण वेधा तक कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र होगा तथा अशमनित भाग की विधिकरण द्वारा हटा दिया जायेगा। हटाने जाने में जो खर्च आयेगा वह पक्ष से वास्तु शमन पत्र के माध्यम से नगरपालिका के रूप में वसूला जायेगा।



(सहस्र/अभिप्रेत)

(सहस्र/अभिप्रेत)

5 शमन उपरान्त समूचे प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
 6 समूचे प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त शमनित भाग को हटाने के लिए पक्ष को स्वयं सुनिश्चित करनी होगी।
 7 समूचे प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त शमनित भाग को हटाने के लिए पक्ष को स्वयं सुनिश्चित करनी होगी।



JAIWAL & ASSOCIATES
 ARCHITECTS & ENGINEERS
 B-109, SARVODAYA ENCLAVE
 NEW DELHI - 110017
 PHONE : 6861448, 6861449, 6861450 FAX : 6861451

PRINCIPAL ARCHITECTS

VIJAY KUMAR
 Regn. No. CA-79-5280

BUILDERS & ENGINEERS PVT. LTD.

KURSEELA PRECISION

CONTRACT

DRG NO.	SCALE	DATE	DEPT.
		07/04/2007	ON (KURSEELA)

SECTION A-A
 TITLE

PROJECT
 PLOT NO.-21, LINDON HEIGHTS APFD,
 AT VAISHALI CHAZIABAD


COMPLETION DRAWING

REVISION & PRINT SCHEDULE

DESCRIPTION	NO.	DATE	BY	CHKD BY



- TERRACE LEVEL (+108.0')
- TYPICAL IX (+98.0')
- TYPICAL VIII (+85.0')
- TYPICAL VII (+75.0')
- TYPICAL VI (+65.0')



GROUND LEVEL (0.00)

TYPICAL I (10.00)


TYPICAL II (10.00)

TYPICAL III (10.00)

TYPICAL IV (10.00)





- 1. TYPICAL II (PART D)
- 2. TYPICAL III (PART D)
- 3. TYPICAL IV (PART D)
- 4. TYPICAL V (PART D)
- 5. TYPICAL VI (PART D)
- 6. TYPICAL VII (PART D)
- 7. TYPICAL VIII (PART D)
- 8. TYPICAL IX (PART D)




RAFT AS/STRUCTURAL DRAWING

SECTION AT A-A'







TERRACE LEVEL (1'-00")

TYPICAL 3 (1'-00")

TYPICAL 6 (1'-00")

TYPICAL 10 (1'-00")


TYPICAL 11 (1'-00")


BRDRO

BRDRO

BRDRO


BRDRO





VA₁₂

VA₁₃





2'-0" X 2'-0"
DHAULPUR S

WIDE RED
SAND STONE


WIDE RED SAND STONE

SUMP

STORE

25'0" x 21'0" DHAULPUR STONE


5" WIDE RED SAND STONE



VA₉

VA₁₀

VA₁₁




H 12


H 11

H 10

H 9



H 14



6" WIDE RED SANDSTONE

RISER=10"
TREAD=6"

AS/DET

2'-0" x 2'-0"
DHAULPUR STONE

LVL- 8'-0"
RISER=10"
TREAD=6"

SUMP

20'
SERVING PANEL

ELECT DUCT

LIFT

LOBBY

LIFT

LIFT

DN

UP

FIRE DUCT

STO

H

H

H⁹


H⁸

H

H

H

H



VA₆


VA₅


VA₄

VA₃

VA₂

VA₁





VA


VA

STAIRCASE
LVL. DETAIL

LVL +2'-0"

LVL -8'-0"

UP



JAI SWAL & ASSOCIATES
 ARCHITECTS & ENGINEERS
 B-108, SAHAYOGYA ENCLAVE
 NEW DELHI - 110017
 PHONE: 0011-445 001455 FAX: 0011-445 001455



Regd. No. CA-19-5208

INDIAN ARCHITECTS

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

ARCHITECTS & ENGINEERS PVT. LTD.

KURSELA PRECISION

OWNER

DRG. NO. CD-05	TITLE	ELEVATION
	SCALE	3"-1"
	DATE	07th June 02
	DEPT	ON PAPER
		NORTH

PROJECT: PLOT NO.-21 HINDON HEIGHTS APTT. AT VAISHALI, GHAZIABAD

COMPLETION DRAWING

REVISION & PRINT SCHEDULE

DESCRIPTION	R.NO.	DATE	P.NO.	ISSUED TO	DELT BY

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(4) वेसमेंट में जल निकासी की सुनिश्चित व्यवस्था पक्ष को स्वयं सुनिश्चित करना होगी। वेसमेंट में किसी भी प्रकार से जल अथवा लीने के कारण होने वाली क्षति के लिए पक्ष उत्तरदायी होगा।

(5) स्थापित मानकित में तामन रंग में वर्णित अश्वत्थीय शीश का पक्ष द्वारा निवेशित अवधि के अन्त में स्थापित किया जायेगा। अश्वत्थीय शीश का निवेशन कराने हेतु स्वतन्त्र होगा तथा अश्वत्थीय शीश को निवेशन करने के लिए उपयुक्त, हटाने जाने में ली स्वयं आदेश कर पक्ष द्वारा ली प्रमाण पत्र के अन्त में प्रे-राजस्व के रूप में वसूल जायेगा।

अश्वत्थीय शीश




अश्वत्थीय शीश

- (3) शीश स्थापित स्थापित शीश का पक्ष द्वारा निवेशन कराने हेतु स्वतन्त्र होगा।
- (6) स्थापित शीश का पक्ष द्वारा निवेशन कराने हेतु स्वतन्त्र होगा।
- (7) स्थापित शीश का पक्ष द्वारा निवेशन कराने हेतु स्वतन्त्र होगा।

(3) अथवा (3) अथवा (3)

(3) अथवा (3) अथवा (3)



TERRACE LEVEL



TYPICAL IX (195)



TYPICAL VII (195)



TYPICAL VI (175)



TYPICAL V (195)



VB10

VB9

VB8


VB7

12'-0"

18'-0"

12'-0"

12'-0"




300

1000

1000

1000

1000



TYPICAL I

TYPICAL II

TYPICAL III

TYPICAL IV


TYPICAL V

TYPICAL VI

TYPICAL VII

TYPICAL VIII

शक्ति प्राप्त करने में सक्षम है।
 के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों का
 होना उन आश्रमों के अन्तर्गत होना चाहिए जो
 स्वयं सहायता समूहों के अन्तर्गत होना चाहिए।



(अनुसूचित जाति)

- 3) राजा बुधारा स्मृति समिति का उपाय लोच को जोड़ना
- 4) राज्य के प्रशासनिक कार्य को संचालित करने के लिए राज्य सरकार के अन्तर्गत एक विभाग का स्थायी अनुयायी बनाना
- 5) राज्य सरकार के अन्तर्गत एक विभाग का स्थायी अनुयायी बनाना

(अनुसूचित जाति) (अनुसूचित जाति)

JAI SWAL & ASSOCIATES
 ARCHITECTS & ENGINEERS
 B-108, SARVODAYA ENCLAVE
 NEW DELHI - 110017
 PHON: 4644488, 4644489 FAX: 4644488



Regn. No. CA-19-5208

ARCHITECTS

[Handwritten signature]

ARCHITECTS & ENGINEERS PVT. LTD.

KURSELA PRECISION

OWNER

CD-05	DRG. NO.	ELEVATION	
	TITLE	NORTH	
	SCALE	DATE	DEPT.
		3"	07th June 02
			ON PRAKASH

PROJECT: PLOT NO.-21, HINDON HEIGHTS APTT. AT VAISHALI, GHAZIABAD

COMPLETION DRAWING

REVISION & PRINT SCHEDULE

DESCRIPTION	R.NO.	DATE	P.NO.	ISSUED TO	DELT BY

(27/03/02)

(31/03/02)


TYPICAL IV (145'-0")

TYPICAL III (125'-0")

TYPICAL II (125'-0")

TYPICAL I (115'-0")


GROUND FLOOR LEVEL




12'-0"

VA2

VA1





TYPICAL V. (1-93-07)

TYPICAL VI. (1-93-07)

TYPICAL VII. (1-93-07)

TYPICAL IX. (1-93-07)

TERRACE LEVEL (1-100-07)

MACHINE ROOM TERRACE LEVEL (1-100-07)

TYPICAL VIII (1-13-97)



TYPICAL VII (1-13-97)



TYPICAL VI (1-6-97)



TYPICAL V (1-6-97)




TYPICAL IV (1-6-97)




TYPICAL III (1-28-97)



TYPICAL II (1-28-97)





12'-0"

21'-0"

12'-0"

12'-0"

12'-0"

VB1

VB2


VB3


VB4

VB5

VB6

ELEVATION





JAISSWAL & ASSOCIATES
 ARCHITECTS & ENGINEERS
 B-109, SARVODAYA ENCLAVE
 NEW DELHI - 110017.
 PHONE : 6861448 , 6861453 FAX : 6964304



PRINCIPAL ARCHITECTS

Handwritten signature

KURSELA PRECISION
 BUILDERS & ENGG. PVT. LTD.

OWNER

DRG. NO.	DRG. NO.	TITLE
	SCALE	SITE PLAN
	DATE	
	2"-1"	
	MARCH '04	
	DEALT	OMP
		NORTH


PROJECT
 HINDON HEIGHT APARTMENTS
 AT PLOT NO.-21 VAISHALI, GHAZIABAD

COMPLETION DRAWING


REVISION & PRINT SCHEDULE

DESCRIPTION	R.NO.	DATE	P.NO.	ISSUED TO	DELT. BY.

Handwritten signature
 VIJAY KUMAR
 Regn. No. CA-79-5288



2690



1105

1437

1437

1435

658

697

750


SET BACK LINE

TERRACE LVL.

TERRACE LVL.
(MUMTY)




SITE BOUNDARY



LVL.

LVL.

TERRACE LVL.
(MUMTY)




COURT-YARD

TERRACE LVL.
(MUMTY)

TERRACE LVL.

TERRACE LVL.

RAMP 3
(12'-0" WIDE RAMP)
LVL +1'-0"



61

24

707

708

704

703

699



693

LVL +1'-0"

UP

TERRACE LVL.

TER



00


93

93

87

84

74
70
67
67



SITE PLAN

1500

1493

1493

1487

1484

1474

1470

1467

1467

TERRACE LVL.





TERRACE LVL.

TERRACE LVL.
(MUMTTY)


COURT-YARD

TERRACE

TERRACE




ENT



3"
7'-84'

PUMP ROOM

ENT



235

PUMP ROOM



JAINWAL & ASSOCIATES
 ARCHITECTS & ENGINEERS
 1109, SARVODAYA ENCLAVE
 NEW DELHI - 110017
 PHONE 6661348 681345 FAX 6644304



Regn. No. CA-79-5288

VIJAY KUMAR

Handwritten signature/initials

REVISIONS

NO.	DATE	DESCRIPTION

PROJECT
 PLOT NO.-81, HINDON HEIGHTS APPT.
 AT VAISHALI, CHAZIABAD


COMPLETION DRAWING

REVISION & PRINT SCHEDULE

DESCRIPTION	R.NO.	DATE	R.NO.	ISSUED TO	RELT. BY

(31/10/21) 21/11/21

(31/10/21)



TYPICAL



TYPICAL



TYPICAL



TYPICAL



TYPICAL

H15

H14

H13

H12

H11


12'-0"






12'-0"

12'-0"

12'-0"

12'-0"





TYPICAL

TYPICAL

TYPICAL

TYPICAL

TYPICAL

TYPICAL

TYPICAL

TYPICAL IV (12'-0")



TYPICAL III (12'-0")



TYPICAL II (12'-0")



TYPICAL I (12'-0")



TYPICAL V (12'-0")



12'-0"


12'-0"




12'-0"



H1

H2

H3







TYPICAL VII (1/15/07)

TYPICAL VIII (1/15/07)


TYPICAL IX (1/15/07)

TYPICAL X (1/15/07)

TYPICAL XI (1/15/07)

TYPICAL XII (1/15/07)

TYPICAL XIII (1/15/07)



12'-0"

12'-0"

12'-0"

12'-0"

12'-0"

12'-0"

H5


H6

H7


H8

H9

ELEVATION



MACHINE RM LEVEL (1/27/07)



विक्रम 803 प्राधिकरण

शमन प्रार्थना पत्र दिनांक.....पर विद्वान्/कारि के शमन आदेश
अनुसार शमन घनराशि रु. 8,39,519/- प्रसीद सं०.....647567
के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका
व अन्य वगैरह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में पारित आदेश
के अन्तर्गत शमन निर्माण उपविधि, शमन उपविधि एवं शपथ पत्र के
अनुसार सुनिश्चित करते हुए निम्नलिखित शर्तों के साथ प्राधिकरण द्वारा शमन
प्रदान है। निम्न अंकित शर्तों का उल्लंघन की स्थिति में पक्ष माननीय उच्च
न्यायालय 18.12.2001 की अग्रमानना का उत्तरदायी होगा।

90 इकाईयों से अधिक इकाईयों का निर्माण नहीं किया जायेगा।

शमन के किसी भी तल अथवा बेसमेन्ट में कोई दुकान/ऑफिस/व्यवसायिक
किया जायेगा।

शमन गवन में कोई परिवर्तन/अतिरिक्त निर्माण नहीं किया जायेगा।

जल निकासी की समुचित व्यवस्था पक्ष को स्वयं सुनिश्चित करनी होगी।
किसी भी प्रकार से जल बराव होने के कारण होने वाली क्षति के
उत्तरदायी होगा।

पत्र में उल्लेख सं० से निर्मित अशमनीय भाग को पक्ष द्वारा निर्धारित अवधि
में हटाना होगा अन्यथा प्राधिकरण वैधानिक कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र
माननीय न्यायालय को प्राधिकरण द्वारा हटा दिया जायेगा, हटाये जाने में जो
बचत पत्र से वरुली प्रमाण पत्र के माध्यम से गू-रासम के रूप में



गाजियाबाद

विकास 803 प्राधिकरण

पक्ष द्वारा प्रस्तुत शमन प्रार्थना पत्र दिनांक..... पर विवेचनाकारों के शमन आदेश

27.12.2001 अनुसार शमन धनराशि रु. 8,39,519/ प्रसीद सं० 647563

27.12.2001 को उपरोक्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका 43362/2001 का अंश 10 हटायी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में पारित आदेश 18.12.2001 के अंतर्गत शमन निर्माण उपविधि, शमन उपविधि एवं शपथ पत्र के पक्ष द्वारा अंश 10 को अतिरिक्त करते हुए निम्नलिखित शर्तों के साथ प्राधिकरण द्वारा शमन निर्माण किया जाएगा है। निम्न अंकित शर्तों का उल्लंघन की स्थिति में पक्ष माननीय उच्च न्याय के आदेश दिनांक 18.12.2001 की अयमानना का उत्तरदायी होगा।

शमन में शमनित 90 इकाईयों से अधिक इकाईयों का निर्माण नहीं किया जायेगा।

आवासीय भवन के विरुद्ध भी तल अथवा बेसमेन्ट में कोई दुकान/ऑफिस/व्यवसायिक कार्य नहीं किया जायेगा।

शमन उपरोक्त शमन में कोई परिवर्तन/अतिरिक्त निर्माण नहीं किया जायेगा।

बेसमेन्ट में जल निकासी की समुचित व्यवस्था पक्ष को स्वयं सुनिश्चित करनी होगी। बेसमेन्ट में किसी भी प्रकार से जल भराव होने के कारण होने वाली क्षति के लिए पक्ष उत्तरदायी होगा।

शमन मानचित्र में हटाए गए क्षेत्र अशमनीय भाग को पक्ष द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर स्वयं हटाना होगा अन्यथा प्राधिकरण वैधानिक कार्यवाही करने हेतु अर्जित क्षति तथा अशमनीय भाग को प्राधिकरण द्वारा हटा दिया जायेगा, हटाने जाने में जो खर्च आयेगा वह पक्ष से करूली प्रमाण पत्र के माध्यम से गू-रोजफंड के रूप में वसूला जायेगा।

(अमर अमित्य)



शमन उपरोक्त समूह के अंश 10 को हटाने का आदेश जारी होगा।
समूह के अंश 10 को हटाने के लिए पक्ष को स्वयं जवाबदेह होना होगा।
शमन निर्माण के लिए पक्ष को स्वयं जवाबदेह होना होगा।
शमन निर्माण के लिए पक्ष को स्वयं जवाबदेह होना होगा।

(Handwritten signature)
(अमर अमित्य)

(Handwritten signature)
(अमर अमित्य)

VB10

VB9

PROJECT:

PLOT NO 21 HINDON
HEIGHTS APARTMENTS
AT VAISHALI GHAZIABAD

OWNER

For Kurseta Precision
Builders & Engineers
Pvt. Ltd.

TYPICAL FLOOR PLAN

1st to 3rd

DRG NO

DEALT BY

DATE

CHKD. BY

SCALE

budhisil

Wajay Kumar
JAISWAL AND ASSOCIATES

ARCHITECTS & ENGINEERS

B-109 SARVODAYA ENCLAVE

NEW DELHI PH NO 661788, 665559

WJAY KUMAR
Regn. No. CA-9-5288

OWNER
For Kurseta Precision
Builders & Engineers
Pvt. Ltd.

TYPICAL FLOOR PLAN

1st Flr 37

DRG NO

DEALT BY

DATE

CHKD. BY

SCALE



Vijay Kumar
VIJAY KUMAR
Regn. No. CA-9-5282


Vijay Kumar
JAISWAL AND ASSOCIATES

ARCHITECTS & ENGINEERS

B-109 SARVODAYA ENCLAVE

NEW DELHI PH NO 661788, 665559







12'0"

H10

12'0"

H11

12'0"

H12

12'0"

H13

12'0"

H14







21-011

VA9

VA8





H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

12'-0"

12'-0"

12'-0"

12'-0"

12'-0"

12'-0"

W1

W2


S

W3

D3

BED ROOM
12'-0" x 11'-3"

LIVING
19'-0" x 11'-5"



H 8

H 7

12.0

Handwritten scribble or mark.

Handwritten square symbol.

C

VA7

VA6

VA5

12'-0"

12'-0"

BALCONY
9'0" x 9'0"

